न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 70/2024

उनवान

1. लक्ष्मण पुत्र मूला,
2. शिवराज,
3. रमेश पुत्र मांगीलाल,
4. मेघराज पुत्र गोकल,
5. रामचरण पुत्र गोकल,
6. बुद्विप्रकाश पुत्र गोकल
7. सायरनीर पुत्र रामदेव,
8. रामकरण पुत्र रामदेव,
9. चतुर्भुज पुत्र बिरदा,
10. राजबाला पत्नी ओमप्रकाश,
11. अजय,
12. राकेश पि. ओमप्रकाश,
13. मंजू पत्नी रामकिशोर,
14. हर्षिता,
15. प्रगति,
16. उज्जवल पि0 रामकिशोर
17. पुखराज पुत्र हनुमान,
18. संतोष पत्नी श्रवण पुत्रवधु हनुमान,
19. चन्द्रप्रकाश पुत्र श्रवण पौत्र हनुमान,
20. नरेश पुत्र श्रवण पौत्र हनुमान,
21. चंचल पुत्री श्रवण पौत्री हनुमान
22. धापू पत्ज्नी मोहन,
23. चांदमल,
24. देवकरण,
25. रामधन,
26. तीजा पि0 मोहन,
27. सीता पुत्री हनुमान जाति अहीर नि0 श्रीनगर, नसीराबाद, जाति अहीर नि0 श्रीनगर, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड

बनाम

1. प्रभु पुत्र हरचन्द जाति अहीर नि0 श्रीनगर, नसीराबाद
2. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री मौ. वसीम
2 जरियें राज0 पैरोकार

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :- दिनांक :- 14.6.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 3199 रकबा 0.05 की आराजी वादीगण/पूर्वज ने प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरचन्द पुत्र मूला से क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। किन्तु उकत आराजी हाल जमाबंदी में जरियें विरासत नामान्तकरण संख्या 2287 दिनांक 13.06.18 से प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवारजन के नाम कर दी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरियें हकत्याग उकत सम्पूर्ण आराजी अपने नाम करवा ली। हाल अभिलेख में भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होने के कारण वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी की जा रही है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम श्रीनगर के खसरा नम्बर 3199 रकबा 0.05 की आराजी वादीगण/पूर्वज ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.11.10 को हरचन्द पुत्र मूला से क्रय की थी। क्रय दिनांक को उक्त आराजी बैंक के नाम रहन दर्ज थी। हरचन्द की मृत्यु होने के बसद आराजी मुतनाजा हरचन्द के वारिस के नाम दर्ज की गयी। तथा हक त्याग के बाद वर्तमान में उक्त आराजी अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। भूमि रहन मुक्त हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने उक्त आराजी प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय की थी। विर:सत का नाम नामान्तकरण दर्ज होने से विक्रय पत्र निष्प्रभावी नही होता है। विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण ने प्रकरण में कोईई खण्डन पेश नही किया है। वादीगण/पूर्वज द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादीगण उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर के खसरा नम्बर 3199 रकबा 0.05 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

लक्ष्मण बनाम प्रभु

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 70 / 2024
पेश करने की दिनांक – 12.04.24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक नरेन्द्र सिंह राठौड मुददई अभिभाषक मौ0 वसीम व राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम श्रीनगर के खसरा नम्बर 3199 रकबा 0.05 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक–––––––– को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 14 माह 6 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद